तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **अशोक सोलंकी बनाम** **लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी)** सू.अ.अपील संख्या 155/2024	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26–11–24	अपीलार्थी अशोक सोलंकी निवासी उंवला बास सालावास ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 04/09/24 में खेत या खसरे की पैमाइस किस प्रकार किया जा सकता है तथ अन्य बिन्दुओं से संबधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (गौरव अग्रवाल) जिला कलक्टर, जोधपुर–ग्रामीण	

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2024.11.2? 17:59:57 IST
Reason: Approved